कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 03/2025 **दिनांक 01/03/2025**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्य़ाःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 28.02.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के मुकदमें के अभियुक्त को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा। '

दिनांक 28.02.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 415/2018 धारा 498A, 304B भादवि व ¾ डीपी एक्ट व वैकल्पिक धारा 302 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त 1. भोला बिन्द पुत्र बल्ली बिन्द नि0 नाग तारा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा 304B भादवि में 08 वर्ष का सश्रम कारावास , धारा 498A भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा ¾ डीपी एक्ट में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

02. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर बलात्संग/पॉक्सो एक्ट के मुकदमे के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30000/- रुपये अर्थदण्ड , की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा। '

दिनांक 28.02.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 198/2023 धारा 376 AB भादवि, 5M/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 Sc/St Act से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त 1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 हवलदार सिंह निवासी हृदयपुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा 5M/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 15,000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 3(2)5 Sc/St Act में आजीवन कारावास व 15,000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर